

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:-37/14

दायर दिनांक:- 10.06.2014

जीसीएमएस नं. 2014/00612

उनवान

जगराम पुत्र बाबू जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन जिला  
करौली

सायलान-03

बनाम

दामोदर पुत्र बल्ली जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन जिला  
करौली राज0

गैरसायलान-15

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान व सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान व सायलान वकील वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद सायलान व सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 23.06.14 से आज दिनांक तक तलवाने में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान व सायलान वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं एवं सायलान व सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी है। अतः मुकदमा न0 37/14 जगराम बनाम दामोदर आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन